

अपील सूचना अधिकार संख्या 51 / 2019 (RCMS 2019/00153) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, निर्वाचन हाल प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर

26.08.2019



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2019 से 08 बन्दुओं पर सूचना चाही थी। प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/- शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैंने प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2019 (P.O. No. 41F/576438) के द्वारा कुल 8 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक, पी.टी.एस., गजसिंहपुर द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला सेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रधानाध्यापिका, पी.टी.एस., गजसिंहपुर वर्तमान पदस्थापित तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत जांच का जवाब दिनांक 29.05.2019 सम्बोधित

1. श्रीमान् अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के साथ संलग्न पत्रांक 1621-22 दिनांक 02.05.2012 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर द्वारा लिखित एवं सम्बोधित राजस्थान सूचना आयोग अपील संख्या 320/2012 जिस साधन से, जिस कार्यालय से जिस दिनांक को प्राप्त किया है, उस साधन, कार्यालय व दिनांक की सूचना।

लिखे गए पत्रांक 29.05.2019 जो जांच रिपोर्ट के जवाब में लिखा गया है एवं सम्बोधित अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को है, के साथ संलग्न पत्रांक दिनांक 08.04.2019 के सम्बन्ध में सूचना व प्रमाणि प्रति।

2. उक्त पत्र प्राप्त करने में जमा कराई गई राशि की सूचना व रसदी की प्रमाणित प्रति, क्रमांक व दिनांक की सूचना।

3. उपरोक्त पत्रांक जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सुसंगत है, उस बिन्दु की सूचना व बिन्दु के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

4. उक्त दस्तावेज जिस अधिकारी व कर्मचारी से प्राप्त किया गया, उस कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व पत्र प्राप्त करने की दिनांक की सूचना।

5. पत्रांक उपरोक्त 1621-22 दिनांक 02.05.2012 के द्वितीय पेज की चरण संख्या 8 में अंकित तथ्य की प्रस्तुतकर्ता की मोहर पर भ्जी गंगा देवी की अंगूठा निशानियां अंकित है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कृपया जिस जगह पर प्रस्तुतकर्ता की मोहर पर भी गंगा देवी की अंगूठा निशानियां अंकित हैं, इस तथ्य को प्रमाणित हेतु दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

6. इसी पत्र की द्वितीय पेज की 10वीं लाईन में यह अंकित है कि प्रस्तुतकर्ता की मोहर में लिपीकीय गलती से गंगा देवी पत्नी श्री भगवानदास के स्थान पर मोनिका देवी पत्नी भगवान दास अंकित कर दिया है।

उस कर्मचारी व अधिकारी कानाम जिसने लिपीकिया गलती से गंगा देवी के स्थान पर मोनिका पत्नी भगवानदास भर दिया है।

7. लिपीकीय भूल वाले दस्तावेज में सरकार मान्यता प्रदन जिस अधिनियम की, जिस धारा में करती है, उस अधिनियम व धारा की सूचना की प्रमाणित प्रति।

8. लिपीकीय भूल को सुधारना जिस अधिनियम की, जिस धारा में अंकित है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 327-28 दिनांक 16.07.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उपलब्ध कराए।

उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ पत्रों का छांटकर

लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक

सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी

विशेष तरीके से करने का आदेश/निर्देश नहीं दिया

जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना

तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध

है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु

संख्या 1,2,4,5, 6,7 एवं 8में संदर्भित क्रमांक का पत्र

इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

2	3	बिन्दु संख्या 3 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
---	---	---

-sd-

प्रधानाध्यापक

पटवार प्रशिक्षण केन्द्र

गजसिंहपुर

इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 376 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

क्रमांक	बिन्दु	सूचना का जवाब
1	1,2,4,5, 6,7,8	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए, सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसकी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना, लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,2,4,5, 6,7 एवं 8में संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	3	बिन्दु संख्या 3 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

-sd-

प्रधानाध्यापक
पटवार प्रशिक्षण केन्द्र
गजसिंहपुर

इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने उक्त अपील के सम्बन्ध में अपने पत्रांक 376 दिनांक 16.08.2019 में निवेदन किया है कि :

इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण संलग्न कर संभव नहीं है। श्रीमान्जी प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर का अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर है। (आदेश की प्रति संलग्न है।) अतः अपील को निरस्त करने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के पत्रांक प. 1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक मील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कृपया जिस जगह पर प्रस्तुतकर्ता की मोहर पर भी गंगा देवी की अंगूठा निशानियां अंकित है, इस तथ्य को प्रमाणित हेतु दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

6. इसी पत्र की द्वितीय पेज की 10वीं लाईन में यह अंकित है कि प्रस्तुतकर्ता की मोहर में लिपीकीय गलती से गंगा देवी पत्नी श्री भगवानदास के स्थान पर मोनिका देवी पत्नी भगवान दास अंकित कर दिया है।

उस कर्मचारी व अधिकारी कानाम जिसने लिपीकिया गलती से गंगा देवी के स्थान पर मोनिका पत्नी भगवानदास भर दिया है।

7. लिपीकीय भूल वाले दस्तावेज मे सरकार मान्यता प्रदन जिस अधिनियम की, जिस धारा में करती है, उस अधिनियम व धारा की सूचना की प्रमाणित प्रति।

8. लिपीकीय भूल को सुधारना जिस अधिनियम की, जिस धारा में अंकित है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 327-28 दिनांक 16.07.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर